तकनीकी परामर्शदाता (आरएसबीवाई)

आरएसबीवाई बैकएंड ऑपरेशन के लिए तकनीकी परामर्शदाता को रखने के लिए विचारार्थ शर्तें

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरएसबीवाई योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य है अभिज्ञात लाभार्थी परिवारों को बड़े स्वास्थ्य जोखिमों से संरक्षित करना जिनमें अस्पताल में भर्ती होना शामिल है। देशभर में पैनलबद्ध अस्पतालों में पॉलिसी अवधि के दौरान स्मॉर्ट कार्ड के आधार पर ऐसे परिवार इन-पेशंट के तौर पर उपचार के लिए 30,000/-रु. के स्वास्थ्य बीमा कवर के हकदार हैं जिसमें प्रसूति और नवजात का बीमा कवर भी शामिल है। पूर्व विहित शर्तें कवर की गई हैं और कोई आयु सीमा नहीं है। परिवार का मुखिया, जीवन-साथी और तीन आश्रित इसमें कवर होते हैं।

आरएसबीवाई योजना को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा योजना के सुचारू संचालन और आरएसबीवाई के बैकएंड ऑपरेशन के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पूर्णतया संविदात्मक आधार पर एनएचएसआरसी के माध्यम से आरएसबीवाई तकनीकी टीम की भर्ती कर रहा है।

तकनीकी परामर्शदाता की प्रोफाइल

- सीएस/आईटी/ईसी में नियमित बीई/बीटेक वाले व्यक्ति या एमसीए करने के उपरांत कम से कम 6 वर्ष के कार्य का अनुभव वाले व्यक्ति
- बायोमीट्रिक, स्मॉर्ट कार्ड और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी का कार्य अनुभव।
- आरडीबीएमएस पर एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में उच्च स्तरीय दक्षता। डाटाबेस क्लाइंट-टूल की जानकारी अत्यंत वांछनीय है।
- एमआईएस, डाटा-माइनिंग और डाटा विश्लेषण का अनुभव।
- विंडोज और लाइनक्स इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन और डाटाबेस सर्वर के संस्थापन और प्रबंधन का अनुभव।
- एमएस वर्ड, एक्सेल, पॉवर प्वांइट जैसे आमतौर पर प्रयोग में आने वाले पैकेजों का उच्च स्तरीय ज्ञान और कम्प्यूटर दक्षता।
- उत्कृष्ट संप्रेषण व प्रस्तुति दक्षता, ठोस अवधारणा, विश्लेषणात्मक और अंतर्वैयक्तिक योग्यता, अंग्रेजी व हिंदी में उत्कृष्ट मौखिक तथा लिखित संप्रेषण दक्षता।
- बहु-आयामी टीम माहौल में कार्य करने की प्रदर्शन क्षमता।
- आरएसबीवाई योजना तथा इसके पहलुओं की जानकारी अतिरिक्त योग्यता होगी।
- आरएसबीवाई, एएबीवाई तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य योजनाओं तथा कार्यचालन की जानकारी।

परामर्शदाता अन्य कार्यकलापों के अलावा निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा

- डाटा से संबंधित पहलुओं, बायोमीट्रिक, स्मॉर्ट कार्ड प्रक्रिया और योजनाओं के विनिर्देशों सहित तकनीकी मामलों में परामर्श देना।
- बायोमीट्रिक उपकरणों तथा स्मॉर्ट कार्ड प्रिंटरों के आरएसबीवाई प्रणाली के साथ एकीकरण के संबंध में विभिन्न वेंडरों तथा विशेषज्ञों के साथ समन्वय करना।
- डाटा से संबंधित मामलों में राज्यों से समन्वय करना।
- भारत सरकार की योजनाओं के लिए स्मॉर्ट कार्ड प्रौद्यागिकी और अन्य आईटी पहलुओं के इस्तेमाल, पंजीकरण तथा कार्य सम्पादन प्रक्रियाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को तैयार करने और डिजाइन करने से संबंधित मामलों सहित तकनीकी परामर्श देना।
- मंत्रालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में सभी आरएसबीवाई सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स संबंधी प्रशिक्षण देना।

- नामांकन के दौरान अस्पतालों और स्टेट नोडल एजेंसियों (एसएनए) की फील्ड टीमों को दूरस्थ सहायता प्रदान करना।
- अस्पतालों, बीमा कंपनियों तथा स्टेट नोडल एजेंसियों से केन्द्रीय आरएसबीवाई सर्वरों में डाटा फ्लो के नियमित निगरानी करना।
- स्मॉर्ट कार्ड की सुरक्षा प्रणाली (की-मैनेजमेंट सिस्टम) और संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रचालन में सहायता देना।
- प्राधिकार कार्डों की सुरक्षा और इन्वेंट्री का प्रबंधन।
- आरएसबीवाई सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, संवर्द्धन इत्यादि के उपरांत इसकी टेस्टिंग करना।
- डाटा का निरीक्षण, क्लिनिजिंग, ट्रास्फार्मिंग और मॉडलिंग।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष

संविधा अवधि: संविदा नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी।

पारिश्रमिक सीमा: कार्य प्रोफाइल और अनुभव के अनुसार वेतन पैकेज प्रतिमाह 40,000/-रु. से 70,000/-रु. के बीच

आवेदन कैसे करें: कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता हैं के वह एनएचएसआरसी वेबसाइट पर उपलब्ध ToR के साथ संलग्न आबेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को ई.मेल rsby.recruitment@gmail.com **में** दिनांक **14-Jun-2017 को अपराह्न्न 4 बजे तक अवश्य भेज दे**। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।